नम्बर फैसल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 71/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

ओमप्रकाश पिता धूकल जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– भंवर लाल पिता शंकर ब्राहम्ण निवासी बोरड़ा
2– नन्दा पिता रूगनाथ जाट निवासी बोरड़ा
3– धन्ना पिता हीरा जाट निवासी बोरड़ा
4– हीरा पिता खाना नाई निवासी बोरड़ा
5– गोपाल पिता रामनिवास नाई निवासी बोरड़ा
6– जगदीश पिता रामकरण जाट निवासी बोरड़ा
7– गोपाल पिता मीठू लुहार निवासी बोरड़ा
8– खाना पिता हीरा नाई निवासी बोरड़ा
9– शंकर पिता कुन्दन नाई निवासी बोरड़ा
10– राधेश्याम पिता बंशी लाल नाई निवासी बोरड़ा
11– सोहन बलाई निवासी बोरड़ा
12– रामपाल पिता पन्ना लुहार निवासी बोरड़ा
13– मोजू पिता महावीर जाट निवासी बोरड़ा
14– हीरा पिता नंदा जाट निवासी बोरड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अनिल कुमार शर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28/10/2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के ग्राम बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 18866 रकबा 0.07 है0, 1868 रकबा 0.04 है0, 1869 रकबा 0.14 है0, 1870 रकबा 0.62 है0, 1871 रकबा 0.44 है0, 1872 रकबा 0.44 है0, 1901 रकबा 0.25 है0, 1903 रकबा 0.30 है0, 1902 रकबा 0.30 है0, 1904 रकबा 0.40 है0, 1905 रकबा 0.22 है0, 1921 रकबा 0.08 है0, 1922/2939 रकबा 0.26 है0, 1911 रकबा 0.41 है0** कुल **किता 14 रकबा 3.97 है0** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बोरड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बोरड़ा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 14 रकबा 3.97 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस **800/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28/10/2020** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।